राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांकः एफ.वी.21(12)पनियाओ/संघ ज्ञापन/2020–21/ 11 जयपुर, दिनांकः 16.04.2021

:– आदेश –:

इस विभाग के पूर्व के आदेशों के अतिक्रमण में समस्त विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं (प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सालय/औषधालय/उपकेन्द्र) के कार्यालय समय में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता हैः–

गर्मियों में (1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक)	प्रातः 8.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक रविवार एवं राजपत्रित अवकाश प्रातः 8.00 से 10.00 बजे तक
सर्दियों में (1 अक्टूबर से 31 मार्च तक)	प्रातः 9.00 बजे से 3.00 बजे तक रविवार एवं राजपत्रित अवकाश प्रातः 9.00 से 11.00 बजे तक

जिला मुख्यालय पर स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 2.00 बजे तक एवं सांय 2.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक दो पारियों में होगा। रात्रिकालीन/आपातकालीन/आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभारी ब.प.चि./जिलाधिकारी द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी तथा एकल तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी वाली संस्थाओं के साप्ताहिक अवकाश के संबंध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.वी.7(2)स्थापन/सामान्य/13/373 दिनांक 02.07.2019 ही प्रभावी रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

sd/-

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राज. सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन/गोपालन विभाग, राज. जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुधन विकास बोर्ड, राज. जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक/जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक पशुपालन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ सम्बन्धित संस्थाओं को उपरोक्तानुसार सूचित कर समय निर्धारण की सूचना पशु चिकित्सा संस्थाओं पर प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त उप निदेशक, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, राजस्थान।
7. अध्यक्ष, पशु चिकित्सक संघ, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष, राजस्थान पशुचिकित्सा कर्मचारी संघ, जयपुर।
9. अध्यक्ष, पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ, राजस्थान।
10. अन्य सम्बन्धित।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\Sajid\letter.docx

Scanned with CamSca